मध्य प्रदेश शासन,
संसदीय कार्य विभाग

क्रमांक 1714/एक(5)26/48/99/अड़तालीस, दिनांक 31 अगस्त, 2005

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
समस्त विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन,
भोपाल ।

विषयः—संसदीय प्रकोष्ठ द्वारा विधान सभा के समस्त लंबित कार्यो तथा विधान सभा समितियों द्वारा की गई अनुशंसाओं का सतत् अनुश्रवण एवं निराकरण करने बाबत ।

...

इस विभाग द्वारा समस्त विभागों में 'संसदीय प्रकोष्ठ' गठित करने के निर्देश पूर्व में जारी किए गए थे । 'संसदीय कार्य नियमावली' की कंडिका क्र. 2.4 में संसदीय प्रकोष्ठ के कर्त्तव्यों का उल्लेख है ।

2/ मुख्य सचिव महोदय द्वारा समस्त विभागों को जारी ज्ञाप क्र. 287/सी.एस./04, दिनांक 4 अक्टूबर, 2004 में भी विधान सभा एवं उसकी समितियों को अपेक्षित जानकारी अविलम्ब भेजने, समितियों की बैठक में उपस्थित होने तथा संसदीय प्रकोष्ठ का गठन करने के निर्देश दिए गए हैं ।

3/ प्रसंगतः उल्लेखनीय है कि इस विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मुख्य सचिव महोदय को, विभागों में लंबित आश्वासनों, शून्यकाल की सूचनाओं, प्रश्नों के दिए गए अपूर्ण उत्तरों तथा संभावित विधेयकों की अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई जाती है । इसके अलावा विधान सभा समितियों, विशेषकर लोक लेखा समिति, को विभागों में लंबित कंडिकाओं का तत्काल निराकरण कराने हेतु आश्वासन देना पड़ता है।

..2..

4/ अतः अनुरोध है कि कृपया आप अपने विभाग में गठित संसदीय प्रकोष्ठ को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वह विधान सभा के लंबित कार्यो तथा विधान सभा समितियों द्वारा की गई अनुशंसाओं का सतत् अनुश्रवण तथा निराकरण कर उनकी

जानकारी नियमित रूप से विधान सभा सचिवालय को भेजते हुए उसकी सूचना इस विभाग को उपलब्ध करावे ।

हस्ता/-

(अजिता बाजपेयी पांडे)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
संसदीय कार्य विभाग

क्रमांक 1715/एक(5)26/48/99/अड़तालीस, दिनांक 31 अगस्त, 2005

प्रतिलिपि -प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

हस्ता/-

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
संसदीय कार्य विभाग